विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 201/वि0स0/संसदीय/134(सं)/2016

लखनऊ, दिनांक 03 मार्च, 2017

अधिसूचना

प्रकीर्ण

श्री प्रदीप माथुर, नेता, उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधान मण्डल दल, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के नियम 7 के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के विचारार्थ श्रीमती माधुरी वर्मा, सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध दिनांक 22 अगस्त, 2016 को दायर की गयी याचिका पर मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा दिनांक 03मार्च, 2017को किया गया विनिश्चय एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ अधिसूचित किया जाता हैः–

अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश

श्री प्रदीप माथुर द्वारा श्रीमती माधुरी वर्मा के विरुद्ध उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी याचिका पर

निर्णय

1. श्री प्रदीप माथुर, नेता, उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधान मण्डल दल, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2016 को उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के अन्तर्गत श्रीमती माधुरी वर्मा, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध याचिका प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में याची का यह कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीतिक दल है तथा इसे निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। याची के अनुसार विपक्षी, श्रीमती माधुरी वर्मा वर्ष 2012 के विधान सभा के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी के रूप में विधान सभा क्षेत्र सं0–283, नानपारा, जनपद–बहराइच, उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधान मण्डल दल की सदस्य बन गई।

3. याची द्वारा यह कहा गया है कि प्रतिपक्षी श्रीमती माधुरी वर्मा ने कुछ दिन पूर्व दिनांक11 अगस्त, 2016 को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है जिसकी औपचारिक घोषणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रेस कांफ्रेस कर दी गई है। प्रतिपक्षी श्रीमती माधुरी वर्मा ने प्रेस कांफ्रेंस में प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्रीमती सोनिया गांधी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी तथा कांग्रेस पार्टी की नीतियों के खिलाफ भी वक्तव्य दिया।

4. याची के अनुसार प्रेस कांफ्रेंस का विस्तृत विवरण दिनांक 12 अगस्त, 2016 के दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इण्डिया तथा इण्डियन एक्सप्रेस दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ।

5. याची द्वारा यह कहा गया है कि उपरोक्त प्रेस रिपोर्टों में से कुछ में प्रतिपक्षी की फोटो भी श्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, उ0 प्र0 एवं अन्य के साथ प्रकाशित हुयी है।

6. याची द्वारा यह भी कहा गया है कि प्रतिपक्षी द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के समाचार ई0टी0वी0 यू0पी0 व अन्य टी0वी0 चैनलों पर भी प्रसारित हुआ है।

7. याची के अनुसार प्रतिपक्षी, श्रीमती माधुरी वर्मा द्वारा स्वेच्छा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल का त्याग कर दिया गया है जो उनके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने व तत्सम्बन्धी दिनांक 11 अगस्त, 2016 को की गई घोषणा से पूर्णतः सिद्ध होता है।

8. याची द्वारा उक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा गया है कि श्रीमती माधुरी वर्मा भारतीय संविधान के दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(a) के अर्न्तगत उ0प्र0 विधान सभा की सदस्यता से निर्रह हो गयी हैं।

9. याची का यह भी कथन है कि श्रीमती माधुरी वर्मा, उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987, जो कि संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा–8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मा0 अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान सभा ने बनायी है, के नियम 7 के उपनियम 4 सपठित भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा–2(1)(b) के अन्तर्गत भी दिनांक11 जून, 2016 को राज्यसभा मतदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के नेता द्वारा दिये गये निर्देशों के विरूद्ध कांग्रेस के प्रत्याशी श्री कपिल सिब्बल को प्रथम वरीयता का मत न देने के कारण निरर्हता से ग्रसित हो गयी हैं।

10. याची के अनुसार प्रतिपक्षी श्रीमती माधुरी वर्मा को विधान सभा सचिवालय द्वारा दिनांक 27 जून, 2016 को जारी की गई उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा के सदस्यों की दलीय सूची के पृष्ठ–5 पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में इंगित सूची के क्रम सं0–19 पर अंकित है, जो कि उपरोक्त कथन की पुष्टि करता है।

11. अन्त में श्री प्रदीप माथुर, याची द्वारा यह प्रार्थना की गयी है कि प्रतिपक्षी श्रीमती माधुरी वर्मा को भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत विधान सभा की सदस्यता से निरर्ह घोषित किया जाय।

12. याचिका के समस्त प्रस्तरों को उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के प्रावधानों के अन्तर्गत सत्यापित किया गया है तथा याचिका के साथ याचिका में वर्णित तथ्यों में दोहराते हुए एक शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। याची की ओर से संलग्नकों के रूप में विभिन्न समाचार पत्रों की प्रतियाँ संलग्न की गयीं हैं। याचिका के साथ संलग्न अभिलिखित साक्ष्य/उपाबन्धों को भी प्रामाणित किया गया है।

13. प्रस्तुत याचिका उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के अन्तर्गत प्राविधानों में वर्णित शर्तो को पूर्ण करती है। तदनुसार विपक्षी श्रीमती माधुरी वर्मा को उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के नियम–8 (3) के अन्तर्गत याचिका की प्रति एवं उसके उपाबन्धों सहित प्रस्तुत करते हुए उन्हें अपना उत्तर/टिपण्णी प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।

14. विपक्षी, श्रीमती माधुरी वर्मा द्वारा दिनांक 19 सितम्बर, 2016 को उपर्युक्त याचिका पर अपना उत्तर प्रस्तुत करने हेतु दो माह का समय दिये जाने का अनुरोध किया गया। दिनांक 03 अक्टूबर, 2016 को डेंगू से पीड़ित होने के कारण विपक्षी द्वारा पुनः अतिरिक्त समय की मांग की गयी।

15. विपक्षी, श्रीमती माधुरी वर्मा द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर, 2016 को उपर्युक्त याचिका पर अपना उत्तर प्रस्तुत किया गया। विपक्षी द्वारा यह कहा गया है कि प्रतिपक्षिणी द्वारा कभी भी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष, मा0 श्रीमती सोनिया गांधी जी एवं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मा0 राहुल गांधी तथा कांग्रेस पार्टी की नीतियों के विरुद्ध कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है। विपक्षी द्वारा आगे कहा गया है कि प्रार्थिनी को परेशान करने की नीयत से आधारहीन तथ्यों पर याचिका दाखिल की गयी है जबकि प्रार्थिनी कांग्रेस पार्टी की सक्रिय विधायक व कार्यकर्ता रही हैं तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र में व जिले में कांग्रेस पार्टी के उत्थान के लिए व आमजन के लिए कार्य किये हैं।

16. विपक्षी के अनुसार प्रतिपक्षी अपने पति के साथ उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित हुई थी। अतः अखबार की प्रस्तुत प्रतियां असत्य एवं मनगढंत हैं, जो रंजिशन व षड़यंत्र के तहत प्रस्तुत की गयी हैं जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत ग्राह्य नहीं हैं और न ही उनका कोई विधिक महत्व है,जिसके फलस्वरूप उक्त याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

17. दिनांक 2 नवम्बर, 2016 को विपक्षी, श्रीमती माधुरी वर्मा के अधिवक्ता द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया गया तथा मा0 अध्यक्ष द्वारा सुनवाई अगली तिथि 18 नवम्बर, 2016 को नियत की गयी।

18. दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को उभय पक्षों द्वारा विस्तार में अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। याची के अधिवक्ता ने जी. विश्वनाथन बनाम माननीय स्पीकर, तमिलनाडु विधानसभा एवं अन्य, 1996(2) एस0सी0सी0 सुप्रीम कोर्ट केसेस 353 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का हवाला देते हुए निर्णय की प्रति उपलब्ध करायी। तत्पश्चात् प्रकरण की सुनवाई सम्पन्न हुयी। पत्रावली पर उपलब्ध सभी अभिलेखों एवं साक्ष्यों का अवलोकन करने एवं प्रतिपक्षी को अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त समय दिये जाने के दृष्टिगत प्रकरण में मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा निर्णय सुरक्षित किया गया।

19. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दसवीं अनुसूची के प्रस्तर 2 (1) (क) की परिधि एवं उसके विस्तार के संदर्भ में **'किहोटोहोलोहान, रवि एस0 नायक एवं जी0 विश्वनाथन (1996) 2 एस0सी0सी0'** के मामलों में पारित निर्णयों के अंतर्गत व्याख्या प्रदर्शित की है तथा यह अवधारित किया है कि सदन के किसी सदस्य द्वारा राजनीतिक दल की सदस्यता को स्वेच्छापूर्वक त्यागने का कृत्य प्रत्यक्ष (Express) अथवा विवक्षित (Implied) हो सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई विधिक व्यवस्थाओं के

अनुसार सदन का कोई सदस्य विवक्षित रूप से अपने आचरण द्वारा भी राजनीतिक दल की सदस्यता का स्वेच्छा से त्याग कर सकता है।

20. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रवि एस0 नायक प्रति यूनियन ऑफ इंडिया (ए0आई0आर0 1994, एस0सी0 1558)** में पारित निर्णय के अंतर्गत समाचार–पत्रों में प्रकाशित समाचारों को साक्ष्य के रूप में दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई याचिकाओं के निस्तारण हेतु संज्ञान में लिये जाने के विषय में मान्यता प्रदान की है जो कि निम्नवत् हैः–

> "As regards the reference to the newspapers in the impugned order passed by the Speaker it appears that the Speaker, in his order, has only referred to the photographs as printed in the newspapers showing the appellants with Congress (I) MLAs and Dr. Barbosa, etc. when they had met the Governor with Dr. Wilfred D'Souza who had taken them to show that he had the support of 20 MLAs. The High Court has rightly pointed out that the Speaker, in referring to the photographs was drawing an inference about a fact which had not been denied by the appellants themselves, viz., that they had met the Governor along with Dr. Wilfred D'Souza and Dr. Barbosa on December 10, 1990 in the company of congress (1) MLAs, etc. The talk between the Speaker and the Governor also refers to the same fact. In view of the absence of a denial by the appellants of the averment that they had met the Governor on December 10, 1990 accompanied by Dr. Barbosa and Dr. Wilfred D'Souza and Congress MLAs the controversy was confined to the question whether from the said conduct of the appellants an inference could be drawn that they had voluntarily given up the membership of the MGP. The reference to the newspaper reports and to the talk which Speaker had with the Governor, in the impugned order of disqualification does not, in these circumstances, introduce an infirmity which would vitiate the said order as being passed in violation of the principles of natural justice."

21. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई उपर्युक्त अवधारणाओं से यह स्पष्ट है कि समाचार–पत्रों को दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत याचिकाओं के निस्तारण हेतु संज्ञान में लिया जाना सर्वथा औचित्यपूर्ण है। प्रतिपक्षी की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य अथवा आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे कि उपर्युक्त समाचार–पत्रों में प्रकाशित समाचारों का कोई खण्डन किया गया हो, अतः याची द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्य एवं तर्क विधिक रूप से मान्य है।

22. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह राणा प्रति श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, (ए0आई0आर0/एस0 सी0 1305, 2007)** में यह स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि निरर्हता उसी दिन से लागू एवं प्रभावी मानी जायेगी जिस दिन से सम्बन्धित सदस्य द्वारा स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल का त्याग किया गया हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय के निम्नलिखित अंश सुसंगत हैंः–

> "As we see it, the act of disqualification occurs on a member voluntarily giving up his membership of a political party or at the point of defiance of the whip issued to him. Therefore, the act that constitutes disqualification in terms of paragraph 2 of the Tenth Schedule is the act of giving up or defiance of the whip. The fact that a decision in that regard may be taken in the case of voluntarily giving up by the Speaker at a subsequent point of time cannot and does not postpone the incurring of disqualification by the act of the legislator. Similarly, the fact that the party could condone the defiance of a whip

within 15 days or that the Speaker takes the decision only thereafter in those cases, cannot also pitch the time of disqualification as anything other than the point at which the whip is defied. Therefore, in the background of the object sought to be achieved by the Fifty-Second Amendment of the Constitution and on a true understanding of paragraph 2 of the Tenth Schedule, with reference to the other paragraphs of the Tenth Schedule, the position that emerges is that the Speaker has to decide the question of disqualification with reference to the date on which the member voluntarily gives up his membership or defies the whip. It is really a decision ex post facto. The fact that in terms of paragraph 6 a decision on the question has to be taken by the Speaker or the Chairman, cannot lead to a conclusion that the question has to be determined only with reference to the date of the decision of the Speaker. An interpretation of that nature would leave the disqualification to an indeterminate point of time and to the whims of the decision making authority. The same would defeat the very object of inacting the law. Such an interpretation should be avoided to the extent possible. We are, therefore, of the view that the contention that only on a decision of the Speaker that the disqualification is incurred, cannot be accepted."

23. भारत का संविधान के 52वें संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को समाहित किया गया था जिसका कि मुख्य रूप से यह उद्देश्य था कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार जिस दल से प्रत्याशी निर्वाचित होता है उसके अतिरिक्त अन्य दल के प्रति यदि वह आस्था अथवा प्रतिबद्धता प्रकट करता है तो वह उपयुक्त नहीं है। जैसाकि रवि एस0 नायक के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया जा सकता है। निरर्हता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आचरण के अवधारित पर आधारित हो सकता है। है। अतः श्रीमती माधुरी वर्मा को 10वीं अनुसूची के अन्तर्गत सुसंगत प्राविधानों के अनुसार निरर्हता से ग्रसित माना जायेगा।

24. उपर्युक्त प्राविधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यदि कोई सदस्य जिस दल से निर्वाचित हुआ है उसके अतिरिक्त किसी दल में सम्मिलित होता है तो वह निरर्हता से ग्रस्त होगा, चूंकि श्रीमती माधुरी वर्मा को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिनांक 11 अगस्त, 2016 को ग्रहण कर ली है। अतः यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गयी हैं। वर्णित स्थिति में श्रीमती माधुरी वर्मा के मामले में 10वीं अनुसूची के प्रस्तर–2 के प्राविधान आकर्षित होते हैं तद्नुसार वह उसी दिनांक से निरर्ह मानीं जायेंगी, जिस दिनांक से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है।

25. प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि साक्ष्य के रूप में याची द्वारा विभिन्न समाचार–पत्रों की प्रतियाँ प्रस्तुत की गयी हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत का संविधान की 10वीं अनुसूची के पैरा–2 दल परिर्वतन के आधार पर निरर्हता–(1) पैरा–4 और पैरा–5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सदन का कोई सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, सदन का सदस्य होने के लिए उस दशा में निरर्हरित होगा जिसमें – (क) उसने ऐसे राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी हैल या

(ख).....

चूंकि श्रीमती माधुरी वर्मा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वर्णित स्थिति में यह स्पष्ट है कि श्रीमती माधुरी वर्मा द्वारा स्वेच्छा से अपने मूल राजनैतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता को त्याग दिया

है। अतः श्रीमती माधुरी वर्मा के सम्बन्ध में 'भारत का संविधान' की दसवीं अनुसूची के प्रस्तर–(2)(1)(क) में वर्णित प्रावधान आकर्षित होते हैं एवं इसके फलस्वरूप श्रीमती माधुरी वर्मा 16वीं विधान सभा की सदस्यता से उस दिनांक से निरर्हित मानी जायेंगी जिस दिनांक से भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुयी हैं।

26. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों, विधिक प्राविधानों एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गयी विधि व्यवस्थाओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि श्रीमती माधुरी वर्मा दिनांक 11 अगस्त, 2016 से निरर्ह मानी जायेंगी, क्योंकि उसी दिनांक से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस आशय का समाचार दिनांक 12 अगस्त, 2016 को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया, जिससे कि यह स्पष्ट है श्रीमती माधुरी वर्मा द्वारा अपने मूल राजनीतिक दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से त्याग दी गयी। वर्णित स्थिति में मेरा यह सुविचारित समाधान है कि श्रीमती माधुरी वर्मा के सम्बन्ध में भारत का संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रस्तर–2 के प्राविधान आकर्षित होते हैं जिसके फलस्वरूप श्रीमती माधुरी वर्मा दिनांक 11 अगस्त, 2016 को निरर्हता से ग्रस्त हो गयी।

आदेश

श्री प्रदीप माथुर, नेता, उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधान मण्डल दल, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका को स्वीकार किया जाता है। श्रीमती माधुरी वर्मा, सदस्य उत्तर प्रदेश विधान सभा क्षेत्र सं0–283, नानपारा, विधान सभा क्षेत्र जनपद–बहराइच को भारत का संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रस्तर 2 (1) (क) के अंतर्गत दिनांक 11 अगस्त, 2016 से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से निरर्ह घोषित किया जाता है।

दिनांक 03 मार्च, 2017

माता प्रसाद पाण्डेय,
अध्यक्ष,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

संख्या : 201(2)/वि0स0/संसदीय/134(सं)/2016, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :--

1–महामहिम राज्यपाल के प्रमुख सचिव को महामहिम राज्यपाल की सूचनार्थ,
2–मा0 मुख्य मंत्री के प्रमुख सचिव को मा0 मुख्य मंत्री की सूचनार्थ,
3–मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
4–समस्त मा0 सदस्यगण, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
5–सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली,
6–मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
7–प्रमुख सचिव, विधान सभा,
8–प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य अनुभाग-1,

9-प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
10-सचिव, विधि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,
11-सरकारी सचिवालय के समस्त विभाग,
12-श्री प्रदीप माथुर, नेता विरोधी दल, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
13-श्रीमती माधुरी वर्मा, ग्राम नेवतला, पो0-नेवतला, बहराइच,
14-निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क अनुभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
15-महासचिव, राज्य सभा, नई दिल्ली,
16-महासचिव, लोक सभा, संसद भवन, नई दिल्ली,
17-जिलाधिकारी, बहराइच,
18-विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग।

अशोक कुमार चौबे,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0-एल0 285 विधान सभा (456)-06-03-2017-1000 प्रतियां-कम्प्यूटर।